

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-10092020-221666
SG-DL-E-10092020-221666

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 186]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 10, 2020/भाद्र 19, 1942	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 131
No. 186]	DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 10, 2020/BHADRA 19, 1942	[N. C. T. D. No. 131

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-I) विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 10 सितम्बर, 2020

सं. फा. 03(41)/ वित्त (राज.-I)/2020-21/डी.एस.- IV/83.—दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 (2010 का दिल्ली अधिनियम 10) की धारा 81 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 में आगे संशोधन करने के लिए नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :-

- (1) इन नियमों को दिल्ली आबकारी (संशोधन) नियमावली, 2019 कहा जाएगा ।
- (2) ये दिनांक 20/2/2019 से लागू होंगे ।

2. नियम 152 का संशोधन:-दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010, के नियम 152 में उप-नियम (1), में, खंड (iii) में भारतीय बीयर, साइडर और अलकोपोप से संबंधित विद्यमान परन्तुक के बाद तालिका में निम्नलिखित परन्तुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“बशर्ते कि माइक्रोब्रेरी द्वारा निर्मित बीयर के संबंध में देय शुल्क की दर 40/-रुपये प्रति बल्क लीटर होगी।”

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
मनोज कुमार, उप सचिव-IV (वित्त)

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 10th September, 2020

No. F. 3 (41)/Fin(Rcv-I)/2020-21/DS-IV/83.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 81 of the Delhi Excise Act, 2009 (Delhi Act 10 of 2010), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the rules to further amend the Delhi Excise Rules, 2010, namely:-

- 1. Short Title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Delhi Excise (Amendment) Rules, 2019.
(2) They shall come into force w.e.f **20/02/2019** .
- 2. Amendment in rule 152**—In the Delhi Excise Rules, 2010, in rule 152, in sub-rule (1) in clause (iii) relating to Indian beer, Cider and Alcopop, after table, for the existing proviso, the following proviso, shall be substituted, namely:-
“Provided that the rate of duty payable in respect of Beer manufactured by Microbrewery shall be @ 40/- per bulk litre.”

By Order and in the Name of Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
MANOJ KUMAR, Dy. Secy.-IV (Finance)